(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 94–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–11–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण कमांक 332/अपील/2015–16.

.....

1–श्री सीताराम पुत्रगण श्री रघुवीर सिंह लोधी
2–श्रीमती भागवती बेवा श्री रघुवीरसिंह लोधी
3–श्री निहालसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह लोधी
4–श्री जनवेदसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह लोधी
5–श्री थानसिंह पुत्र श्री गब्बरसिंह लोधी
6–श्री प्रीतमसिंह पुत्र श्री गब्बरसिंह लोधी
7–श्री कैदारलाल पुत्र श्री गब्बरसिंह लोधी
8–श्री सुघर सिंह पुत्र श्री सुदरसिंह लोधी
9–श्री जगदीश पुत्र श्री सुदरसिंह लोधी
समस्त निवासीगण विकमपुर जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन जर्ये अनुविभागीय अधिकारी मुरार
जिला ग्वालियर

..... अनावेदक

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदकगण

श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक– अनावेदक शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम विकमपुर के पटवारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम विकमपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 163 रकबा 0.073 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 164 रकबा 0.585 हेक्टेयर तथा सर्वे कमांक 255 रकबा 0.512 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण के नाम दर्ज है । उपरोक्त भूमियों पर मुरम डालकर तथा सीवर लाईन बनाकर कॉलोनी बनाने का काम चल रहा है तथा मौके पर दुर्गानगर का बोर्ड लगा है । उनके पास डायवर्सन की अनुमति व कॉलोनाईजर का लायसेंस नहीं है । उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 29/2014–15/172(5) दर्ज कर दिनांक 14–12–2015 को आदेश पारित कर आवेदकगण पर रुपये 3,97,800/–अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये भूमि को यथा स्वरूप लाये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10–3–16 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–11–2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि नगरीय क्षेत्र में होने से एवं 2 वर्ष से भी अधिक समय से पड़त पड़ी होने के कारण डीम टू डायवर्सन की परिभाषा में आने से कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त नहीं है एवं आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 1 एवं 4 की शर्तो का उल्लघंन नहीं किया गया है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पटवारी द्वारा कथन किये गये है और बताया कि मौके पर पक्की रोड व सीवर लाईन नहीं है, केवल खेतों पर आने जाने के लिये कच्चा रास्ता बनाया गया है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदकगण द्वारा कोई अवैध कॉलोनी का निर्माण नहीं किया गया है ।

(3) शासन द्वारा वर्ष 2013 में संशोधन करते हुये नगरीय क्षेत्र में अवैध कालोनी के विरूद्ध कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नगर निगम को प्रदान किया गया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की भूमि मुख्य सड़क पर मानकर बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है जबकि आवेदकगण की भूमि मुख्य सड़क से अन्दर स्थित है और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस वर्ष की गाईड लाईन के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जाना अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रमाणित हुआ है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर प्रश्नाधीन भूमि को यथास्वरूप लाये जाने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर